



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट: www.mpbse.nic.in

फैक्स : (0755) 2551499, 2552061, 2551650

क्रमांक/प्रशा./स्था./ए-2/2556/2026

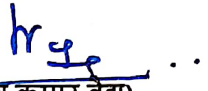
भोपाल, दिनांक 28/10/2026

स्थाई-आदेश

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा डुप्लीकेट अंकसूची/प्रमाण-पत्र जारी करने एवं अंकसूची/प्रमाण-पत्रों में संशोधन की प्रक्रिया को मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1776/2136/2017/20-3 दिनांक 30.10.2017 एवं मण्डल कार्यालयीन आदेश क्रमांक स्था./2955-56/2017, भोपाल दिनांक 22.12.2017 के अनुक्रम में प्रक्रियात्मक संशोधन निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अन्तर्गत एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त होने वाले संशोधन के प्रकरणों में मध्यप्रदेश के जिलों की समन्वयक संस्थाओं द्वारा गुण-दोष के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाकर संशोधन प्रकरणों का अनुमोदन कर मण्डल मुख्यालय की HO लॉगिन पर स्थानान्तरित किया जाता है एवं उक्त आधार पर मण्डल मुख्यालय के अभिलेख कक्ष में केन्द्रीकृत रूप से अंकसूचियाँ मुद्रित कर आवेदकों के पते पर भेजने की कार्यवाही की जाती है।

छात्रों को संशोधित अंकसूचियाँ शीघ्र प्राप्त हो इसलिए वर्तमान की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए छात्रहित में संशोधित अंकसूची मुद्रित करने का कार्य मण्डल के संभागीय कार्यालयों को दिनांक 01 नवम्बर, 2026 से स्थानान्तरित किया जाता है। इस संबंध में आदेश क्रमांक 1776/2136/2017/20-3 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत डुप्लीकेट अंकसूची/प्रमाण-पत्र एवं संशोधित अंकसूची के लिए निर्धारित की गई प्रक्रिया एवं निर्देश यथावत रहेंगे।

(अध्यक्ष के आदेशानुसार)


(बुद्धेश कुमार वेदा)
सचिव,

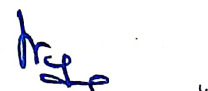
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28/10/2026

पृष्ठा. क्रमांक/प्रशा./स्था./ए-2/2557/2026

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर आदेश क्रमांक 1776/2136/2017/20-3 दिनांक 30.10.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर अनुरोध है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उक्त आदेश को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. निज सचिव, अध्यक्ष/सचिव/अतिरिक्त सचिव, मा.शि.मण्डल, भोपाल (म.प्र.)।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल, (म.प्र.)।
6. संचालक, एम.पी. ऑनलाईन, मध्यप्रदेश।
7. अतिरिक्त सचिव/वित्ताधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/पंजीयक परीक्षा/समन्वय/अभिलेख/स्थापना/सत्यापन एवं समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल (म.प्र.)।
8. चीफ सिस्टम ऑफिसर/जनसम्पर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ भेजकर लिखा जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही एवं मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं व्यापक-प्रचार प्रसार हेतु।
9. समस्त, संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विभाग, (म.प्र.)।
11. आंचलिक अधिकारी, इन्दौर/समस्त संभागीय अधिकारी मा.शि.मण्डल (म.प्र.)।
12. समस्त सहायक सचिव/कक्षाधिकारी, मा.शि.मण्डल (म.प्र.)।
13. समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के प्राचार्यों की ओर प्रेषित कर लेख है कि मण्डल द्वारा उपरोक्तानुसार जारी किए संशोधन विषयक आदेश के अनुसार ही संशोधन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी, उक्त आदेश की प्रति आमजन को सूचित करने हेतु सूचना पटल पर भी चस्पा कराए।


सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल